रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2005/ज्येष्ठ 26, 1927
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2005/JYAISTHA 26, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2005

सा. का. नि. 405(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (त्यौहार पेशगी) विनियम, 1994 में द्वितीय संशोधन।

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल, नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (त्यौहार पेशगी) विनियम, 1994, जो समय-समय पर संशोधित है, में फिर से संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियिम बनाता है।

1. (i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (त्यौहार पेशगी) संशोधन विनियम, 2005 कहा जाएगा।

(ii) उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) संप्रति के नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (त्यौहार पेशगी) विनियम, 1994, जो समय-समय पर संशोधित है, में वर्तमान विनियम 3(1) की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :—

3. **प्रयुक्ति सीमा :**

3 (1) अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इन विनियमों में, श्रेणी III, श्रेणी IV के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को पेशगी स्वीकार्य है।

वर्तमान विनियम 6 की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :—

6. **पेशगी की राशि** : प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी को मंजूर की जाने वाली पेशगी की राशि का समय-समय पर मंडल निर्धारण करेगा।

[फा. सं. पी आर-12016/7/2004-पीई-1]

ए० के० भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत का राजपत्र सा.का.नि. सं. 104 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1994 में प्रकाशित हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं :

(1) सा.का.नि. सं. 366 (अ) दिनांक 16-05-2001 ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2005

G. S. R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Employees (Festival Advance) Regulations, 2005 made by the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

SECOND AMENDMENT TO NEW MANGALORE PORT EMPLOYEES (FESTIVAL ADVANCES) REGULATIONS, 1994.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust hereby makes the following Regulations further to amend the New Mangalore Port Employees (Festival Advances) Regulations, 1994 and as amended from time to time.

1. (i) These Regulations may be called the New Mangalore Port Employees (Festival Advances) Amendment Regulations, 2005.

(ii) The said Regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(iii) In the existing New Mangalore Port Employees (Festival Advances) Regulations, 1994 and as amended from time to time, for the existing Regulation 3(1) the following shall be substituted, namely :—

3. **Extent of Application :**

3. (1) Save as otherwise provided, in these Regulations, the advance is admissible to Class III, Class IV Employees and Officers.

For the existing Regulation 6 the following shall be substituted, namely :—

6. **Amount of Advance :** The amount of Advance which may be granted to an employee or an officer shall be fixed by the Board from time to time.

[F. No. PR-12016/7/2004-PE.1]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations were published in the Gazette of India under GSR No. 104(E) dated 21st February, 1994 and subsequently amended vide.

(1) GSR No. 366(E) dated 16-05-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.